काउन्सलिंग हेतु दिशा–निर्देश

रेडियोग्राफर एवं लेब टेक्नीशियन (लेबोरेट्री टेक्नीशियन) के पद पर नियुक्ति एवं आवंटन हेतु निम्नानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी :–

1. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा वर्ष 2024 के समूह–5 के परीक्षा परिणामों के संबंध में जारी मैरिट सूची ही प्रथम कांउसलिंग की चयन सूची होगी।
2. यह काउंसलिंग एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से की जावेगी। इस काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 600+जी.एस.टी. ऑनलाईन देय होगा।
3. मैरिट सूची के समस्त अभ्यार्थियों को काउंसलिंग संबंधी जानकारी उनके द्वारा आवेदन में दिये गये मोबाईल पर मेसैज के माध्यम से अथवा ई–मेल पर प्रदाय की जायेगी।
4. मेरिट सूची (चयन सूची) के अभ्यार्थियों को मेरिट के आधार पर एवं उनके द्वारा दिये गये जिलों की वरीयता क्रम एवं वर्गवार रिक्त पदों के आधार पर पदस्थापना जिले का आवंटन एम.पी. ऑनलाईन द्वारा किया जायेगा।
5. अभ्यार्थियों द्वारा Choice Filling दिनांक 01.07.2025 से 06.07.2025 तक की जा सकेगी ।
6. अभ्यार्थियों द्वारा Choice Filling के समय अपनी पसंद अनुसार (रिक्त पद अनुसार) वर्गवार समस्त जिलों की वरीयता दिया जाना आवश्यक होगा ।
7. Choice Filling करने के बाद सबमिट किये जाने व राशि भुगतान उपरांत वरीयता के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
8. अभ्यार्थियों की पदस्थापना मेरिट सूची के आधार पर केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से की जावेगी।
9. प्रथम काउंसलिंग में अभ्यार्थी को आवंटित जिला अंतिम होगा। ऐसे अभ्यार्थी जो इस काउंसलिंग में अनुपस्थित रहते है अथवा आवंटित जिले में दस्तावेज सत्यापन हेतु नियत तिथि पर अनुपस्थित रहते हैं अथवा दस्तावेज सत्यापन उपरांत अपात्र होते हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त करते हुये इन पदों को रिक्त माना जावेगा।
10. अभ्यार्थी को आवंटित जिले में नियत तिथि पर संबंधित क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा ।
11. यदि काउंसलिंग उपरांत सभी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे रिक्त पदों की पूर्ति MPESB द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची के माध्यम से द्वितीय काउंसलिंग द्वारा की जावेगी।

12. द्वितीय काउंसलिंग में केवल ऐसे अभ्यार्थियों के नामों पर विचार श्रेणी में लिया जावेगा जो ESB द्वारा तैयार की गई प्रतीक्षा सूची (द्वितीय कांउसलिंग की चयन सूची) में होंगे अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में उपस्थित हो चुके हैं (भले ही वे दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अथवा अपात्र घोषित किये गयें हों) उन्हें द्वितीय कांउसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । प्रथम काउंसलिंग के दौरान अनुपस्थित अभ्यार्थी भी द्वितीय कांउसलिंग में सम्मिलित नहीं होंगे ।
13. द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित जिला भी अंतिम होगा ।
14. क्षेत्रीय संचालक चयनित अभ्यर्थियों की सूची, नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात जानकारी आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करेंगे ।
15. अभ्यार्थी का चयन यदि अन्य विभाग व अन्य पद पर हो गया है, तदोपरांत अभ्यार्थी द्वारा उक्त विभाग अथवा अन्य पद पर अपनी उपस्थिति (ज्वाईनिग) प्रदाय की गई है, तो ऐसे अभ्यार्थी रेडियोग्राफर अथवा लेब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होंगे ।
16. किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा ।
17. किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा ।
18. काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश समय–समय पर आवश्यकता अनुसार चयनित अभ्यार्थियों हेतु **वेबसाईट** health.mp.gov.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे, तत्संबंध में विभागीय वेबसाईट चयनित अभ्यार्थी चेक करते रहें ।

संचालक (अविज्ञप्त)
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,
मध्य प्रदेश